प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 141/2023

अनवान : –

1. दिलावर सिंह चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. चुनीराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. चंदरभान पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. गोरी शंकर पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. ओम प्रकाश पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः **23.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 22/22 की कुल 2.3276 हैक्ट व खाता स0 147/46 की कुल 0.0632 हैक्ट व खाता स0 148/123 की कुल 0.0254 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 34/33 की कुल 2.2520 हैक्ट व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 28/25 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी स0 1 के नाम अकेले के दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 5 जो की वादी कि बहि[illegible]क्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी [illegible] परित्याग कर चुकी है। बाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 का बहिब हक हिस्सा है। वाद भूमि में प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 22/22 की कुल 2.3276 हैक्ट व खाता स0 147/46 की कुल 0.0632 हैक्ट व खाता स0 148/123 की कुल 0.0254 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 34/33 की कुल 2.2520 हैक्ट व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 28/25 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उपसरपंच ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक भादरराम के अन्य कोई भी वारिस नही है स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 22/22 की कुल 2.3276 हैक्ट व खाता स0 147/46 की कुल 0.0632 हैक्ट व खाता स0 148/123 की कुल 0.0254 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 16/13 की कुल 0.5060 हैक्ट व 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 34/33 की कुल 2.2520 हैक्ट उक्त सभी खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 28/25 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 141/2023

अनवान : –

1. दिलावर सिंह चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. चुनीराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. चंदरभान पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. गोरी शंकर पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. ओम प्रकाश पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 141 सन 2023 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 22/22 की कुल 2.3276 हैक्ट व खाता स0 147/46 की कुल 0.0632 हैक्ट व खाता स0 148/123 की कुल 0.0254 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 16/13 की कुल 0.5060 हैक्ट व 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 34/33 की कुल 2.2520 हैक्ट उक्त सभी खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 28/25 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना